न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/152/2018

अपीलार्थी	बनाम	**प्रत्यर्थी**
श्री नरपाल यादव एडवोकेट, न्यू कोर्ट परिसर, बहरोड (अलवर)		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 20.08..018

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 06.09.18

1. उभयपक्ष उपस्थित।
2. अपीलार्थी की ओर से श्री दयाराम यादव, नि0 तलवाड, तह0 बहरोड द्वारा उपस्थित होकर प्रत्यर्थी की ओर से किसी प्रकार का जवाब प्राप्त नहीं होने बाबत प्रा0पत्र पेश किया गया। जिसे अभिलेख पर लिया गया।
3. हमने पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 08.07.2018 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत शिविर संबंधी 05 बिन्दुओं पर सूचना की वांछा की गई थी।
5. अपीलार्थी द्वारा नियत समय गुजरने के बाद भी प्रत्यर्थी द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 14.07.18 के माध्यम से, जो इस कार्यालय को दिनांकः 20.08.2018 को प्राप्त हुआ, के जरिये प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है एवं आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया है।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया।
7. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से सुनवाई हेतु उनके प्रतिनिधि श्री सतीश कुमार कनिष्ठ सहायक जवाब नोटिस के साथ उपस्थित हुए।
8. अपीलार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित ना होकर अन्य व्यक्ति श्री दयाराम यादव निवासी–तलवाड तह0 बहरोड को प्रकरण में किसी प्रकार की सूचना प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित नहीं किए जाने बाबत लिखित अभिकथन के साथ **बतौर प्रतिनिधि/पक्षकार बनाकर** प्रस्तुत किया है।
9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानान्तर्गत इस प्रकार प्रतिनिधि मनोनीत/घोषित किये जाने का प्रावधान नहीं है।
10. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र दिनांकः 05.09.2018 के माध्यम से बिन्दुवार जवाब प्राप्त हुआ जिसके अनुसार उनके द्वारा अपीलार्थी को पत्र दिनांकः लोक सूचना/2018/745–46 दिनांकः 05.09.2018 के माध्यम से बिन्दुवार विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है।
11. पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 08.07.18 पर प्रत्यर्थी द्वारा अधिनियम की धारा 7(1) में वर्णित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर प्रथम अपील प्रस्तुत करने के पश्चात् विनिश्चय कर इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत कर अपीलार्थी को प्रति प्रेषित की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

12. विलम्ब से प्रत्यर्थी द्वारा विनिश्चय किये जाने के कारण अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

13. उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड (अलवर) को इसके माध्यम से निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आवेदकों द्वारा उक्त अधिनियम अंतर्गत प्रस्तुत आवेदनों पर अविलम्ब विनिश्चय कर सूचित करें।

14. अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में उक्त अधिनियम अंतर्गत अपील प्रस्तुत किए जाने पर स्वयं उपस्थित होकर पैरवी करे।

15. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

16. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

(ओ. पी. जैन)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)